पंजीकृत

2549
947

सेवा में

मा0 जनसूचना अधिकारी/गृह सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

20 JAN 2014
96

दिनांक- 14 जनवरी, 2014

पत्रांक सं0- 583/सू0अ0अधि0-2005/शाहजहाँपुर

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदनः-

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की जानकारी मे आया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त कतिपय प्रदेशो मे आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो के ऊपर हमले की घटनाओ को दृष्टिगत कर आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी भी आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट है जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्न जानकारी की आवश्यकता है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के तहत दी गई निर्धारित अवधि मे निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे।

वांछित शुल्क 10/-रु0 हेतु पाँच रूपये मूल्य के दो पोस्टल आर्डर सं0- 69C 747394 / 69C 747395 मूल रूप मे संलग्न है।

आपेक्षित सूचना का विवरणः-

1. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक किस-किस दिनांक को किस-किस नाम के अधिकारीयो द्वारा आदेश पारित किये गये बताते हुए पारित आदेशो की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियो मे उपलब्ध कराने की कृपा करे।
2. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशो का प्रभाव क्या सम्पूर्ण भारत वर्ष मे है अथवा किसी प्रदेश मे बताने की कृपा करे।
3. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशो का प्रभाव यदि किसी प्रदेश मे नही है तो उस प्रदेश का नाम बताने की कृपा करे।
4. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो पर होने वाले हमलो से एक्टिविस्टो को किस प्रकार की सुरक्षा उपरोक्त आदेश से प्राप्त होगी बताने की कृपा करे।
5. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेश की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियो मे उपलब्ध कराने की कृपा करे।
6. क्या उत्तर प्रदेश मे आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो से सम्बन्धित जनपद वार लिस्ट बनाई गयी है। यदि हाँ तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो से सम्बन्धित लिस्ट की छाया प्रति को दो प्रतियो मे प्रमाणित कर उपलब्ध कराने की कृपा करे।

संलग्नक-
1. उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप मे।

नोटः-यदि प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही सूचना या उसके किसी अंश का सम्बन्ध किसी अन्य लोक/प्राधिकरण से हो तो कृपया सू0अ0अधि0-2005 की धारा 6(3) के नियमानुसार कार्यवाही करने की करे।

प्रार्थी

Shyam Sundar

श्याम सुन्दर शर्मा
C/o सूचना का अधिकार,टास्क फोर्स कार्यालय
मा0 खलील शर्की, निकट-अम्बा टाकीज मोड़,
शाहजहाँपुर

RTI MATTER

No. II-11034/10/2014-NM/ANO-II
Government of India
Ministry of Home Affairs
Naxal Management Division
(ANO Wing)

Room No.13-A,North Block,
New Delhi Dated the 6 March 2014

To

Shri Shyam Sunder Sharma
C/o Right to Information, Task Force Office,
Md.Khalil Sharki, Near Amba Talkies Mode
Shahjahanpur
Uttar Pradesh.

Subject: - Information sought under RTI Act, 2005- reg.

Please refer to your application under RTI Act-2005 dated 14.01.2014 received by this office on 06.03.2014 from Director (VS) & CPIO, Ministry of Home Affairs for providing information on point 5 of your RTI application regarding a copy of order dated 14.06.2013 issued by MHA on security for RTI activists.

2. Information in respect of the Anti Naxal Operations (ANO) Wing of Naxal Management Division, Ministry of Home Affairs for which the undersigned is the CPIO, may be treated as 'Nil'.

3. Any appeal against this lies with Sh. M.A. Ganapathy, Joint Secretary (NM), Ministry of Home Affairs, Room No.193-A/1, North Block, New Delhi.

Daljit Singh

(Daljit Singh Chawdhary)
Dir (ANO) & CPIO
Telefax No.011 2309 4019

Copy to:

Girish Kumar, Director (VS) & CPIO, NDCC-2 Building, MHA

dc

P.R. No. 02/ANO-II/14
Dt. 07/03/14